5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा/2017/1949

न्यायालय श्रीमान् समआदरणीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन.(म.प्र.)

प्रकरण कमॉक– /निगरानी 2016–17

देवराम पिता भुवाना जी जाति भील, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम खौर तहसील जावद जिला नीमच(म.प्र.)

.... आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 31-5-17
अधीक्षक 31.5.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

140
31/05/17

विरूद्ध

1.कंचनबाई पति बाबूलाल जाति मेघवाल, आयु 50 वर्ष, व्यवसाय कुछ नहीं निवासी ग्राम खौर तहसील जावद जिला नीमच

2.बाबूलाल पिता केशुराम जाति मेघवाल, आयु 52 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, विक्रम सीमेंट निवासी ग्राम खौर तहसील जावद जिला नीमच(म.प्र.)

.........अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जावद के प्रकरण कमॉक 14 अ–13/2008–09 में पारित आदेश दिनॉक 9.5.2017 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।

21-6-17

मान्नीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निमलिखीत प्रस्तुत हैं–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि, अनावेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष दिनॉक 27.6.2009 को धारा 131 के साथ धारा 32 म.प्र. भू रा.सं. का आवेदन पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि, अनावेदक कमॉक 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 602/2 रकबा 0.936 हैक्टर कृषि भूमि स्थित ग्राम खौर को रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा भॅवरनाथा पिता नंदानाथा से दिनॉक 9.12.2004 को कय की हैं और उक्त भूमि पर आने जाने हेतु कदमीरूढी रास्ता शासकीय भूमि सर्वे नं. 598 में पूर्व में से रहा हैं। इसी रास्ते से आते जाते हैं अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं हैं रास्ते का अधिकार अर्जित हैं। आवेदक ने सर्वे नं. 598 की भूमि पर अतिकमण और दिनॉक 22.6.2009 को रास्ते की भूमि को हॉक कर अपने खेत में मिला लिया और रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद होने से अनावेदकगण अपने खेत पर बुआई करने नही जा सकते हैं और फसल बोने से वंचित हो गए हैं अवैध अतिकमण को तुरंत हटाकर रास्ता खुलवाया जावें।

यह कि, आवेदक द्वारा दिनॉक 9.7.2009 को जवाब प्रस्तुत किया गया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(95)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/1949

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	